

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प _____

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता गुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी _____
व भू.अ.नि. _____ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार _____
तहसीलदार _____ की अनुरासा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम _____ तहसील _____
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् _____ में खाता संख्या _____
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अन्त
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
01	दरिवा	128	गौकल	गौकल राम

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

क्रमांक:- 172

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3 OCT 2025

1. तहसीलदार _____ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। _____ को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____